आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

13-12-2017

–: आदेश :–

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अन्तर्गत कम्पनी विस्तार हेतु आवेदक के द्वारा बिक्री की अनुमति हेतु दायर परमिशन वाद के आलोक मे अंचल अधिकारी, गोला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बरलंगा, खाता नं0 12 सर्वे खतियान में गुलवा मांझी वो योगिया मांझी वो छोटुवा मांझी पेशरान कर्मसिंह मांझी वो चेतलाल मांझी वो मनसु मांझी वो भगतु मांझी वो नगमा मांझी पेशरान लुछुवा मांझी वो मोची मांझी वो झबी मांझी पेशरान तिलक मांझी के नाम से दर्ज है। खतियानी वंशावली के आधार पर आवेदक के हिस्से में मात्र 1.26 एकड़ भूमि होता है। बिक्री के उपरांत आवेदक के पास मात्र 0.41 एकड़ भूमि बचती है, आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में हो जायेंगे। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है, के संबंध में अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, गोला से प्राप्त अनुशंसा से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। आवेदक का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/12/17

उपायुक्त,
रामगढ़।

13/12/17

उपायुक्त,
रामगढ़